ग्राम पंचायत धरोगड़ा, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला

के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2016

1 **(क) प्रस्तावना:-** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत धरोगड़ा, विकास खण्ड बसन्तपुर , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति दीप्ति कश्यप	23.1.2011 से 22.1.2016
2	श्री हेम राज कपिला	23.1.2016 से लगातार

सचिव:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति रंजना ठाकुर	1.4.2013 से 28.10.2015
2	श्री धर्म प्रकाश	29.10.2015 से 8.3.2016
3	श्री मनोज शर्मा	9.3.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बसन्तपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5(क)	बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बही और बैंक खातों में अन्तर	0.11
2	8(क)	नकद आय को सीधे व्यय करना	0.42

3	11(क)	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	1.67
4	12	अनुदान का उपयोग न करना	10.67
5	13	भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	0.93
6	14(क)	औपचारिकता पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.52
7	14(ख)	स्टॉक स्टोर का अनियमित क्रय करना	3.68
8	16	बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.15

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत धरोगड़ा, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मनजीत भाटिया , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20.10.2016 से 26.10.2016 तक ग्राम पंचायत धरोगड़ा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 6/2013, 11/2014, 2/2016 व 4/2013, 11/2014, 5/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया हैं।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत धरोगड़ा, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6,000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 05, दिनांक 26.10.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत धरोगड़ा से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत धरोगड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) स्व स्त्रोत व विविध अनुदान :- ग्राम पंचायत धरोगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 की स्व स्त्रोत व विविध अनुदानों [मनरेगा , वॉटर शेड (आई०डबल्यू०एम०पी०) व वॉटर शेड (डबल्यू०डी०एफ़) योजना को छोड़कर] की वित्तीय स्थिति का **"परिशिष्ट-क"** अनुसार विवरण नीचे दिया गया है।

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों [मनरेगा, वॉटर शेड (आई०डबल्यू०एम०पी०) व वॉटर शेड (डबल्यू०डी०एफ़) योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों के अतिरिक्त) की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित करके बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय की खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके अभाव में स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: रोकड़ बही अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	870966.06	1160914	2031880.06	965151	1066729.06
2014-15	1066729.06	1037760	2104489.06	1126224	978265.06
2015-16	978265.06	1067921	2046186.06	1185927	860259.06

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिमशेष नहीं दर्शाये गए हैं । अतः रोकड़ बही में दर्शाई गयी हस्तगत राशि के अतिरिक्त बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance**) लिया गया है।

(ख) अनुदान :- ग्राम पंचायत धरोगड़ा की अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों [मनरेगा, वॉटर शेड (आई०डबल्यू०एम०पी०) व वॉटर शेड (डबल्यू०डी०एफ़) योजना] की वित्तीय स्थितिका **"परिशिष्ट-क"** अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है:-

मनरेगा:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष

2013-14	246592.8	432731	679323.8	67777.60	1551.2
2014-15	1551.2	525781	527332.2	527332.00	0.2
2015-16	0.2	281235	281235.2	281235.20	0

वॉटर शेड (आई०डबल्यू०एम०पी०)**:-**

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	564530	596936	1161466	621937	539529
2014-15	539529	480726	1020255	514626	505629
2015-16	505629	84161	589790	424423	165367

वॉटर शेड (डबल्यू०डी०एफ़)**:-**

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	10838	16394	27232	1500	25732
2014-15	25732	8523	34255	0	34255
2015-16	34255	7341	41596	0	41596

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिमशेष नहीं दर्शाये गए हैं । अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance**) लिया गया है।

5 **(क) बैंक समाधान विवरणी:-**

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है जिसके कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही और बैंक खातों के अन्तशेष में निम्न विवरणानुसार ₹4,650/- का अन्तर पाया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 , दिनांक 22.10.2016 की अनुपालना में **"परिशिष्ट-ख"** पर प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी में ₹(-)11090/- का संशोधित अन्तर पाया गया जिसका समाधान शेष था। इस सन्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह

अन्तर है जिसका समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। अत: नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही के अंतशेष और बैंक खातों के अन्तशेष के संशोधित अन्तर ₹(-)11090/- का प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्रम सं०	**विवरण**		**राशि (₹)**
1	रोकड़ बही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		1067222.06
	(i) स्व-स्त्रोत व विविध अनुदान- **पैरा 4(क)**	860259.06	
	(ii) मनरेगा- पैरा **4(ख)**	0	
	(iii) वॉटर शेड (आई०डबल्यू०एम०पी०) पैरा-**4(ख)**	165367	
	(iv) वॉटर शेड (डबल्यू०डी०एफ़)पैरा-**4(ख)**	41596	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-ग)**		1062572.06
3	अन्तर		4650

(ख) अन्तर का कारण:-

1	रोकड़ बही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		1067222.06
	(-) सामान्य निधि की रोकड़ बही अनुसार हस्तगत राशि	-310	(-)4650
	(+) हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक , शाखा सुन्नी , खाता संख्या 5701 में सीधी प्राप्त मानदेय की राशि को सामान्य निधि की रोकड़ बही में दिनांक 30.4.2016 को लेखांकित करना	6750	
	(-) राशि जिसका समाधान नहीं किया गया था	-11090	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-ग)**		1062572.06

6 (क) रोकड़ बही व बैंक खातों का नियमानुसार रख-रखाव न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है तथा नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय और

अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता-'क" व खाता-'ख") खोले जाने का प्रावधान है। खाता-'क" में पंचायत के स्व-संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता- 'ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत धरोगड़ा में चार रोकड़ बहियों [सामान्य , मनरेगा , वॉटर शेड (आई०डबल्यू०एम०पी०) व वॉटर शेड (डबल्यू०डी०एफ़)] का निर्माण किया गया है तथा 12 विभिन्न बैंक खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जाने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये। भविष्य में नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(ख) रोकड़ बही व बिल/वाउचरों को सही प्रकार से नहीं लिखना:-

रोकड़ बही की गणनाओं में अनेकों गलतियाँ की गयी थीं। हस्तगत राशि की भी सही प्रकार से गणना नहीं की गयी थी। हस्तगत राशि को कभी कम/कभी ज्यादा दर्शाया गया था। रोकड़ बही के मासांत/वर्षान्त शेष नहीं दर्शाये गये थे जिसके कारण गणनाओं में गलतियों का प्रभाव नहीं दर्शाया गया था। बिल/वाउचरों/मस्ट्रोल में अनेकों कटिंग की गयी थीं जिन्हें प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं लिया गया था। इसी प्रकार वित्तीय स्थिति व बैंक के अन्तर का समाधान भी नहीं किया गया था। अतः पाई गयी त्रुटियों/अनियमितताओं बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व सुनिश्चित किया जाये कि अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार की त्रुटियों के चलते कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। अनुपालना से तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7 **निवेश:-** सचिव ग्राम पंचायत धरोगड़ा द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार पंचायत निधि से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

8 **(क) ₹0.42 लाख नकद आय को सीधे व्यय करना:-**

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-घ** पर प्रस्तुत विवरण के अनुसार सामान्य रोकड़ बही में रसीदों से प्राप्त ₹42,336/- की समस्त नकद आय को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न करके सीधे व्यय किया गया था , जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट , लेखे , संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 (3) के अनुसार पंचायत को प्राप्त होने वाली व पंचायत खाते से भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि का सम्बंधित खाते में जमा करवाया जाना व सम्बंधित खाते से ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

अतः पाई गयी अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व भविष्य में उक्त नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(ख) नियम के विपरीत आपूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(2) के अनुसार सामग्री के क्रय पर आपूर्तिकर्ताओं को केवल चैक द्वारा भुगतान करने का प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार का अधिकतर भुगतान चैक से स्वंय राशि आहरित करके व हस्तगत राशि से नकद रूप में किया गया था। भुगतान की रसीद /पावतियाँ भी प्राप्त नहीं की गई थीं जिससे पंचायत निधि के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः पाई गई अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार के नकद भुगतानों की रसीद/पावती आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये व भविष्य में संबन्धित नियमों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

9 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि रखना:-

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा ₹1,000/- से अधिक हस्तगत रखा गया था, जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक हैं। यहाँ यह सूचित करना भी उचित होगा कि रसीदों से प्राप्त नकद आय व चैक से आहरित राशि को कई -2 दिनों तक हस्तगत रखा गया था जिससे राशियों के दुर्विनियोजन की पूर्ण सम्भावना है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व छानबीन करके सुनिश्चित किया जाये कि पंचायत निधि का कहीं भी दुरुपयोग नहीं हुआ है अन्यथा नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पुनरावृति न हो।
अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये:-

रोकड़ बही पृष्ठ	दिनांक	हस्तगत राशि (₹)
49	3.4.2013	90155
49	6.4.2013	90155

54	25.4.2013	2540
57	5.7.2013	2540
58	15.7.2013	2540
60	18.8.2013	2540
61	30.8.2013	2540
63	7.9.2013	2540
07	11.7.2014	1413
08	8.8.2014	1223
35	1.9.2015	2420
36	8.9.2015	2930
40	4.11.2015	1738
41	28.11.2015	2138

10 **(क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :**

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

(ख) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही प्रकार से रख-रखाव न करना-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन , आरेखण, प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी मंजूरी , मापन पुस्तिका, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि से संबन्धित अभिलेख का सही प्रकार से रख-रखाव नहीं किया गया था। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 , दिनांक 24.10.2013 के सन्दर्भ में

मौखिक रूप से सूचित किया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों से संबन्धित उपरोक्त अधिकतर अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में है जबकि पंचायत के पास कुछ प्राक्कलन व वर्क असेस्मेंट की फोटो प्रतियां पाई गईं जिन्हें व्यवस्थित ढंग से नहीं रख गया था। सचिव द्वारा सूचित किया गया कि मूल (Original) अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में ही है। इसके अतिरिक्त एक-दो मापन पुस्तिकाएं भी अंकेक्षण में प्रस्तुत की गईं परन्तु अधिकतर निर्माण कार्यों के बिल/वाउचर में एम०बी० के पृष्ठ अंकित नहीं थे। अतः उपरोक्त अधिकतर अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में होने व पंचायत में उपलब्ध कुछ अभिलेख को भी व्यवस्थित ढंग से न रखने के कारण व्यय के चयनित मासों में करवाये गए लाखों रूपये के विभिन्न निर्माण कार्यों के बिल/वाउचर की उचित जांच नहीं हो सकी। अतः उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये। साथ ही सुझाव दिया जाता है कि पंचायत के समस्त अभिलेख का रख-रखाव व्यवस्थित/क्रमवद्ध तरीके से किया जाये ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाये जा रहे लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की उचित जांच सुनिश्चित हो सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

11 (क) पंचायत राजस्व ₹1.67 लाख की वसूली शेष:-

पंचायत द्वारा स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से संबन्धित "**परिशिष्ट-ङ"** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹1,65,700/- की राजस्व वसूली शेष थी। अत : उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने का कारण स्पष्ट किया जाये व इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ख) ₹460 की राशि को जमा न करना:-

हि०प्र० विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 4(1) व (2) की अनुपालना में '**परिशिष्ट-च"** अनुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क ₹460/- को न तो रोकड़ बही में लेखांकित किया गया तथा न ही बैंक में जमा किया गया था। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व उक्त राशि को अविलम्ब रोकड़ बही में लेखांकित करके बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(ग) ₹300 की राशि को जमा न करना:-

चयनित माह 11/2014 में निम्न विवरणानुसार ₹300/- की प्राप्त राशि को रोकड़ बही में तो लेखांकित किया गया था परन्तु बैंक में जमा किया गया था। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व उक्त राशि को अविलम्ब बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये:-

रसीद संख्या	**दिनांक**	**राशि (₹)**
6410	17.11.2014	45
6413	17.11.2014	140
6416	17.11.2014	30
6418	17.11.2014	85
	योग	300

(घ) मोबाइल टॉवर के पूर्ण अभिलेख के अभाव में राजस्व की हानि:-

सचिव, ग्राम पंचायत धरोगड़ा द्वारा **"परिशिष्ट-छ"** पर सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की जानकारी के अनुसार पंचायत क्षेत्र में बी०एस०एन०एल० कंपनी का एक मोबाइल टावर स्थापित है, परन्तु यह टावर कब स्थापित हुआ इसकी जानकारी पंचायत को नहीं है। अभिलेख अनुसार मोबाइल टावर का नियमानुसार स्थापना शुल्क व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क भी आज तक पंचायत को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त आवश्यक अभिलेख/जानकारी के अभाव में ग्राम पंचायत को लगातार हो रही राजस्व की हानि बारे पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये तथा इस सम्बन्ध में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

12 अनुदान ₹10.67 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-क"** पर उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति/सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अनुदानों की कुल ₹10,67,222.06 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों से संबन्धित आय-व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: सुझाव दिया जाता हैं कि पंचायत निधि खाता- 'क" व खाता-

'ख" के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन करके खाता बहियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से विविध अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा समस्त अनुदानों (विविध , मनरेगा व वॉटर शेड) की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

13 ₹0.93 लाख के भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(ए० से डी०) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय की गयी वस्तुओं का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना आपेक्षित था। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि उक्त भण्डार रजिस्टरों का निर्माण किया गया है परन्तु पूर्ण नहीं है। अतः चयनित मासों में अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹93,987/- की विभिन्न मदों, जिनका विवरण "**परिशिष्ट-ज"** में दिया गया है, का क्रय किया परन्तु भंडारण प्रविष्टि को भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था। नियमों के विपरीत उक्त अभिलेख का पूर्ण निर्माण न करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत निधियों के दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय किये गये समस्त स्टोर /स्टॉक की भंडारण प्रविष्टि को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अभिलेख के अभाव में निधियों का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

14 (क) औपचारिकता पूर्ण किए बिना ₹4.52 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औप चारिकतायें पूर्ण करना अपेक्षित है। चयनित मासों में व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि "**परिशिष्ट-झ"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹4,52,223/- के स्टोर/स्टॉक का क्रय औपचारिकता पूर्ण किए बिना किया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है तथा साथ ही पंचायत को बाज़ार की प्रतिस्पर्धी

दरों के लाभ से वंचित होना पड़ा। अत: स्टोर-स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ₹3.68 लाख के स्टॉक स्टोर का अनियमित क्रय करना:-

चयनित माह 4/2013 में रोकड़ बही पृष्ठ-18 अनुसार वॉटर शेड (IWMP) निधि से चैक संख्या: 522062, दिनांक 8.4.2013 द्वारा ₹4,00,000/- की राशि आहरित की गई। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त राशि "खाता निर्माण सिंचाई पाईपलाइन डोडलीनाला से संदोआ" हेतु आहरित की गई थी। इस राशि से विभिन्न भुगतान किये गये जिसमें ₹3,67,736/- का एक भुगतान मै० शर्मा हार्डवेयर, शर्मा भवन, भठाकुफर, संजौली, शिमला-171006 को उनके बिल संख्या 654, दिनांक 4.4.2013 द्वारा 302 जी०आई० पाईपों व अन्य फिटिंग के सामान के क्रय हेतु किया गया जिसमें निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

(i) उपरोक्त क्रय हेतु मात्र तीन Quotations आमंत्रित की गयी थीं जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(5)(a) के अनुसार ₹50,000/- से अधिक की खरीद हेतु विस्तृत परिचालन होने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा Tender आमंत्रित किये जाने चाहिये जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा अनुपालना नहीं की गयी। अतः नियमों के विपरीत सामग्री क्रय करने बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये व इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) उपरोक्त क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार तीन Quotations आमंत्रित की गयी थीं जिनमें से प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा केवल निम्न दर वाली निविदा को ही हस्ताक्षरित किया गया था। इन निविदाओं में 5.4.2013 की दिनांक अंकित थी जबकि सामान दिनांक 4.4.2013 को क्रय किया गया था। अतः स्पष्ट किया जाये कि निविदाओं की दिनांक 5.4.2013 से एक दिन पूर्व दिनांक 4.4.2013 को सामान का क्रय कैसे किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सामान का क्रय करने के बाद निविदाएं एकत्रित की गयी

थीं जो कि आपत्तिजनक होने के साथ-2 एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः पाई गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितता बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये। साथ ही यह मामला पंचायत विभाग के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है:-

क्रम सं०	**निविदाकर्ता का नाम**	**निविदा की दिनांक**	**निविदा जिसकी दर निम्न थी**
1	मै० शर्मा हार्डवेयर , शर्मा भवन, भठाकुफर , संजौली , शिमला-06	5.4.2013	मै० शर्मा हार्डवेयर , शर्मा भवन , भठाकुफर, संजौली, शिमला-06
2	मै० ए०के०एन० एंटरप्राइजेज़ (शेष पता अंकित नहीं था)	5.4.2013	
3	मै० जसपाल रोलिंग शटर एण्ड ट्रेडर्स , भठाकुफर , शिमला	5.4.2013	

(iii) उपरोक्त भुगतान की कोई भी रसीद प्राप्त नहीं की गई थी जिसे अब प्राप्त किया जाये। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य का अपेक्षित प्राक्कलन , आरेखण , प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी मंजूरी, मापन पुस्तिका, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि से संबन्धित तकनीकी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में है। अतः उक्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ग) ₹0.42 लाख के स्टॉक/स्टोर का Proforma Invoice पर क्रय करना:-

चयनित माह 5/2015 में रोकड़ बही पृष्ठ-13 अनुसार वॉटर शेड (IWMP) निधि से चैक संख्या: 84067 , दिनांक 29.5.2015 द्वारा ₹41,790/- की राशि आहरित की गयी। इस राशि का भुगतान "खाता निर्माण सिंचाई पाईपलाइन डोडलीनाला से संदोआ" हेतु मै० शर्मा हार्डवेयर , शर्मा भवन , भठाकुफर, संजौली, शिमला-06 को उनके निम्न वर्णित बिलों हेतु दिनांक 11.6.2015 को अग्रिम रूप में किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि उपरोक्त खरीद हेतु कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी। केवल

उपरोक्त आपूर्तिकर्ता का Proforma Invoice ही अभिलेख में संलग्न था। नियमानुसार निविदायें आमंत्रित न करना तथा केवल Proforma Invoice के आधार पर ही समान का क्रय करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्रम सं०	बिल संख्या	दिनांक	राशि (₹)	सामग्री
1	2751	19.6.2015	12090	34 जी०आई० पाईप व अन्य फिटिंग का सामान
2	2754	22.6.2015	29700	
		कुल	41790	

15 ₹0.71 लाख के मानदेय/वेतन का ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार सामान्य निधि से चयनित मासों में ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्यों, चौकीदार व सिलाई अध्यापिका को निम्न विवरणानुसार ₹71,250/- का मानदेय/वेतन का भुगतान किया गया, परन्तु मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज /अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं था, जिस कारण मानदेय /वेतन के भुगतान की सही दरों की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः मानदेय/वेतन के भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत कार्यालय में प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

क्रम सं०	विवरण	मानदेय/वेतन की अवधि	रोकड़ बही पृष्ठ	चयनित माह	राशि (₹)
1	वेतन चौकीदार श्री रोशन लाल	2/13	49	4/13	1650
2	भत्ता चौकीदार श्री रोशन लाल	2/13	50	4/13	150
3	वेतन चौकीदार श्री रोशन लाल	3/13	51	4/13	1650
4	भत्ता चौकीदार श्री रोशन लाल	3/13	51	4/13	150
5	वेतन चौकीदार श्री रोशन लाल	4/13	51	4/13	1650
6	भत्ता चौकीदार श्री रोशन लाल	4/13	51	4/13	150
7	मानदेय पंचायत पदाधिकारी	1/13 से 3/13	52	4/13	15150
8	वेतन चौकीदार श्री रोशन लाल	5/13	52	4/13	1650

9	भत्ता चौकीदार श्री रोशन लाल	5/13	52	4/13	150
10	मानदेय सिलाई अध्यापिका श्रीमति सुलोचना	10/12 से 3/13	52	4/13	9600
11	मानदेय पंचायत पदाधिकारी	7/14 से 10/14	13	11/14	21600
12	मानदेय पंचायत पदाधिकारी	2/15 से 4/15	28	5/15	17700
				कुल	**71250**

16 ₹0.15 लाख के बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित मासों में निम्न बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण संबन्धित व्यय की जांच नहीं की जा सकी जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आप तिजनक भी है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये अपेक्षित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये:-

क्रम सं०	चयनित मास	निधि का नाम	रोकड़ बही पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
1	4/13	सामान्य	51	श्री अशोक कुमार, गाँव संदोआ को 40 सीमेंट बैग ₹150 प्रति बैग की दर से ढुलान का शेष भुगतान	4000
2	5/15	मनरेगा	14	निर्माण गौशाला, श्री लीला दास पुत्र श्री सुरत राम, गाँव संदोआ के मस्ट्रोल अवधि 3.2.15 से 16.2.15 का मजदूरों को भुगतान	3696
3	5/15	मनरेगा	14	निर्माण गौशाला, श्री धर्म प्रकाश पुत्र श्री लीला नन्द, गाँव एवग के मस्ट्रोल अवधि 3.2.15 से 16.2.15 का मजदूरों को भुगतान	7392
				कुल	**15088**

नोट:-अभिलेख में उपरोक्त क्रम संख्या 2 व 3 पर मस्ट्रोल की केवल फोटो प्रतियां संलग्न थी जबकि वास्तविक मस्ट्रोल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये।

17 ₹0.04 लाख की राशि को गलत खाते में लेखांकित करना:-

चयनित माह 5/2015 में मनरेगा रोकड़ बही के पृष्ठ -15 पर मस्ट्रोल संख्या: 2117, अवधि 3.3.2015 से 16.3.2015 तक की मजदूरी ₹4,312/- के भुगतान को "निर्माण गौशाला श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री कांशी राम , धरोगड़ा " के खाते में लेखांकितकिया गया दर्शाया था। परन्तु अभिलेख की जांच में पाया गया कि वास्तव में

उक्त मस्ट्रोल "निर्माण गौशाला श्री दीप राम , धरोगड़ा" के खाते से संबन्धित था। अतः उक्त भुगतान को गलत खाते में दर्शाने /लेखांकित करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व उक्त दोनों खातों में सुधार करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

18 निर्माण सामग्री से ₹0.02 लाख के Voids की कटौती न करना:-

अभिलेख की जांच में पाया गया कि चयनित मासों में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी उस पर नियमानुसार voids की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-ञ"** पर उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹1,545/- का अधिक भुगतान किया गया। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

19 रसीद बुकों बारे:-

(क) ₹2.31 लाख की प्राप्त राशि की रसीद जारी न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीद जारी की जानी अपेक्षित है। चयनित मास 2/2016 में सामान्य रोकड़ बही के पृष्ठ-44 पर 14वें वित्त आयोग की ₹2,30,769/- की प्रथम किश्त प्राप्त हुई परन्तु आय के प्रतिफल में सचिव द्वारा कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अत : इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये प्राप्त आय के प्रतिफल में रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का सही रख-रखाव न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र फॉर्म-3 पर रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का निर्माण करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा तदानुसार उक्त स्टॉक रजिस्टर का निर्माण किया गया था परन्तु इसमें निम्न वर्णित कुछ रसीद बुकों को दर्ज नहीं किया गया था। अतः स्टॉक रजिस्टर का पूर्ण रख-रखाव न करने बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व निम्नलिखित रसीद बुकों को शीघ्र स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

क्रम संख्या	**रसीद संख्या**	**क्रम संख्या**	**रसीद संख्या**
1	6701 से 6800	13	011301 से 011400
2	6801 से 6900	14	004201 से 004300
3	6901 से 7000	15	004101 से 004200
4	14901 से 15000	16	012701 से 012800
5	15201 से 15300	17	011401 से 011500
6	52601 से 52700	18	012601 से 012700
7	670901 से 671000	19	024201 से 024300
8	023801 से 023900	20	263701 से 263800
9	006301 से 006400	21	14701 से 14800
10	024001 से 024100	22	14801 से 14900
11	006301 से 006400	23	7001 से 7100
12	023801 से 023900	24	15501 से 15600

20 (क) विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्रम संख्या	रजिस्टर/ अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	मासिक बैंक समाधान विवरणी		7(2)
2	निवेश रजिस्टर	1	(1) 12

3	खाता बहियाँ (Ledger Accounts)	7	29(1)
4	क्लासिफाइड अब्सट्रेक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
5	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
6	विविध माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	बजट प्राक्कलन	11	37
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	(2)61
10	अस्थाई भण्डार रजिस्टर	26	72 (1) (बी०)
11	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72(1)(डी०)
12	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
13	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103

(ख) विहित रजिस्टरों का उचित रख-रखाव न करना

निम्न रजिस्टरों का उचित रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन रजिस्टरों का उचित रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्रम संख्या	रजिस्टर का नाम	टिप्पणी
1	स्थायी स्टॉक रजिस्टर	रजिस्टर में कुछ प्रविष्टियाँ ही दर्ज थीं जो कि पूर्ण नहीं है। इसे मदवार भी नहीं लिखा गया था। अतः रजिस्टर में समस्त स्टॉक को मदवार दर्ज किया जाये।
2	सामग्री स्टॉक रजिस्टर	-यथोपरि-

21 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट , लेखे , संपरीक्षा , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 विविध:-

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार पंचायत द्वारा स्वीकृत व्यय से संबन्धित प्रस्ताव संख्या व दिनांक प्रत्येक बिल /वाउचर पर अंकित किया जाना अपेक्षित है ताकि कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना न हो। परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण अवहेलना हुई है जो कि अनियमित है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं किया गया है। अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये। भविष्य में उपरोक्त नियम का कड़ाई से पालन किया जाये।

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत: 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

23 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई हैं लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया ।

24 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव एवं सुधार की अधिक आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 42/2016–खण्ड–1–1291–1294 दिनाँकः02.03.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत धरोगड़ा, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए

निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.